

E-newsletter
MAY - 2016

Municipal Council Beawar



Nagar Parishad Beawar E-newsletter MAY – 2016

नगर परिषद ब्यावर द्वारा किये जाने वाले दैनिक गतिविधि व विभिन्न सार्वजनिक कार्य :-

1	<p>खाद्य के अतिरिक्त दिये जाने वाले लाईसेन्सों का विवरण</p> <p>1. नगरपालिका अधिनियम के तहत बनाये जाने वाले होटल, रेस्टोरेंट आदि के लाईसेन्स हेतु आवेदन पत्र समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ प्राप्त होने व शुल्क जमा होने के प्रमाण के बाद प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा।</p> <p>2. जारी अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण</p>
2	<p>अग्रिम शमन एवं अन्य सभी प्रकार के अनापति प्रमाण पत्र जारी करना :</p> <p>(अ) प्रोविजनल फायर अनापति प्रमाण पत्र जारी करना</p> <p>(ब) स्थाई फायर अनापति प्रमाण पत्र</p> <p>(स) फायर अनापति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण के लिए जारी फायर अनापति प्रमाण पत्र की प्रति मय आवेदन पत्र</p> <p>(द) वैधानिक अनिवार्यता अनापति प्रमाण पत्र एवं अदेयता प्रमाण पत्र देने के बाबत इस हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त होने पर निस्तारण</p>
3	<p>भवनों के नक्शों की स्वीकृति के सम्बन्ध में</p> <p>(अ) भवनों के नक्शों की स्वीकृति के सम्बन्ध में</p> <p>(ब) भूखण्डों का उपविभाजन एवं पुनर्गठन</p> <p>(स) भू-उपयोग परिवर्तन</p>
4	<p>जन स्वास्थ्य संबंधी कार्य</p> <p>(i) बरसाती नालों की सफाई (दो फुट से अधिक गहरे)</p> <p>(ii) गंदी नालियों व गलियों की सफाई</p> <p>(iii) मृत पशुओं का निस्तारण</p> <p>(iv) आवारा पशुओं को पकड़ना</p> <p>(v) कुत्तों का वेक्सीनेशन एवं नसबन्दी</p>
5	<p>अमानत/धरोहर राशि (Earnest Money Security Deposit) का समय पर भुगतान : असफल रहे निविदादाताओं की अमानत/धरोहर राशि लौटाना</p>
6	<p>जन्म मृत्यु पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करना : (जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 एवं राजस्थान जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के प्रावधानों के</p>

	तहत किया जाना कानूनन अनिवार्य है।
	(i) जन्म अथवा मृत्यु का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए घटना की सूचना 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत की जाने पर
	(ii) 21 दिन के बाद जन्म—मृत्यु का विलम्बित रजिस्ट्रेशन नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करने पर
	(iii) जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टि को ठीक या रद्द करना या जुड़वाना (प्रक्रिया पूर्ण करने पर)
7	विवाह पंजीयन एवं प्रमाण पत्र जारी करना (i) दिनांक 22.05.2006 एवं इसके बाद सम्पन्न होने वाले विवाहों का पंजीयन (ii) दिनांक 22.05.2006 से पूर्व सम्पन्न विवाहों का पंजीयन
8	नाम हस्तान्तरण सम्बन्धित आवेदक द्वारा भूमि एवं भवन के विधिक स्वामित्व सम्बन्धी समस्त दस्तावेज प्राप्त होने एवं पुरानी समस्त बकाया राशि जमा कराने पर प्रकरण का निरस्तारण
9	दस्तावेज / मानचित्र की प्रति प्राप्त करना दस्तावेज / मानचित्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर
10	लीज मुक्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र मय समस्त वांछित दस्तावेजों के जमा कराये जाने एवं समस्त देय लीज राशि जमा कराने पर
11	सामुदायिक केन्द्र का आरक्षण सामुदायिक केन्द्र का आरक्षण करवाने हेतु आवेदन पत्र मय आवश्यक राशि का चैक प्रस्तुत करने पर प्रकरण का निस्तारण
12	स्वच्छ भारत अभियान :-
13	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
14	अटल अमृत योजना

नगर परिषद व्यावर के अन्य विभिन्न कार्य क्षेत्र एंव कर्तव्य :—

1. माननीय न्यायालय में विचाराधीन क्षेत्र से सम्बन्धित दावों के जवाब दावे त्यार करवाकर न्यायालय में नगर परिषद का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक विधि लिपिक व एक (एडवोकेट) निदेशालय स्थानीय निकाय की अभिशंषा पर नियुक्ति की गई है।
2. विभिन्न सरकारी योजनाओं एंव कर्मचारियों के वेतन—भत्तों आदि के भुगतान हेतु बजट तैयार करवाना व विभिन्न मदों Special Grant, General Grant, SFC, TFC, Grant(in Lieu of Octroi) राज्य व केन्द्र सरकार की विभिन्न कार्यक्रम व स्कीम हेतु बजट की मांग करना और बजट अनुसार विभिन्न सरकारी कार्यों को सम्पन्न करवाना।
3. कर्मचारियों के संस्थापन विवरण, पददोन्नति कार्य विवरण आदि का सम्पादन करना।
4. नगर पालिका के चुनाव सम्पन्न करना।
5. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न समय पर भूमि नियमन के कार्यों का शिविर आयोजित कर निर्देशानुसार भूमि नियमन के कार्य सम्पादित करना।
6. वृद्धजन सम्मान पेंशन, विशेष योग्य जन, विधवा पेंशन, परित्यक्ता (तलाकशुदा) पेंशन, हेतु समय—समय पर राज्य सरकार एंव विभाग के निर्देशानुसार पेंशन स्वीकृति हेतु शिविरों का आयोजन कराकर आवेदन पत्रों की जाँच करवाकर सक्षम स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रेषित करना।
7. स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य सम्पादित करना एंव सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

**नगर परिषद ब्यावर की विभिन्न शाखाओं एंव योजनाओं की माह
मई 2016 का प्रगति विवरण :-**

सूचना के अधिकार आवेदन की सूचना :-

पूर्व के बकाया	31.05.2016 तक प्राप्त	योग	निस्तारण	शेष बकाया
100	413	513	325	188

राजस्थान सम्पर्क :-

पूर्व के बकाया	31.05.2016 तक प्राप्त	योग	निस्तारण	शेष बकाया
171	26	197	08	189

नियमन

पूर्व के बकाया	31.05.2016 तक प्राप्त	योग	निस्तारण	शेष बकाया
51	8	59	1	58

यू०डी० टैक्स (नगरीय विकास कर) की 31.05.2016 तक की वित्तीय प्रगति सूचना।


कं.सं.	वर्ष	बकाया राशि	चालू वसूली राशि	शास्ती राशि	छूट राशि	योग
01	31.05.2016 तक	19122	27732	4527	2773	48608
					योग	48608

**Household toilets, including conversion of insanitary latrines into
pourflush latrines :-**

शौचालय विहिन परिवारों के कुल प्राप्त आवेदन	शौचालय विहिन परिवारों के अपलोड किये गये आवेदन	प्रथम किश्त जारी	अब तक प्रगति	
			पूर्ण निर्मित	अपूर्ण निर्मित
1244	1238	988	220	303

स्वच्छ भारत मिशन :-

खुले में शौच से मुक्त की राह में राजस्थान
स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाया गया भारत सरकार का अत्यन्त महत्वपूर्ण अभियान है जो 02 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145 जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार की और से अधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2019 तक भारत को "खुला शौच मुक्त भारत" घोषित करना है। स्वच्छ भारत के सफल क्रियान्वयन हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा LSGD, GoR को नोडल विभाग बनाया गया।



Public toilets & Community toilets :-

वार्ड नं. 2,3,9 और 20 व अन्य चयनित स्थानों पर सामुदायिक शौचालय बनवाये जा रहे हैं।

IEC & Public Awareness :-

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत दस विद्यालयों में डिबेट प्रतियोगिता करवाई गई। स्वच्छ भारत मिशन के प्रचार प्रसार हेतु शहर के लोकल चैनल के माध्यम से स्वच्छ भारत का प्रसारण करवाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के प्रचार प्रसार हेतु शहर के सभी 45 वार्डों में कठपुतली का कार्यक्रम/प्रोग्राम करवाया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत परिषद के सफाई कर्मचारियों द्वारा पुरे शहर में रैली निकाल कर स्वच्छता का संदेश दिया गया।

Capacity building and administrative & office Expenses (A & OE) :- कठपुतली कार्यक्रम में 36000/- रुपये व्यय हुये।

"थीम आधारित स्वच्छता ड्राईव" कलेण्डर 4/16 से 3/17 अनुसार दिनांक 01.06.2016 से 15.06.2016 तक व्यावर शहर के सभी लोकप्रिय वन्य अभयारणों, आरक्षित वन क्षेत्रों, पार्क एवं पशु कल्याण प्रतिष्ठानों पर केन्द्रित थीम आधारित बेर्स्ड स्वच्छता ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है।

Elimination of open defecation :- शहर में खुले स्थानों में शौच जाते हुये व्यक्तियों को पाबन्द किया जा रहा है एवं निगरानी जारी है।

To effect behavioral change regarding healthy sanitation practices :- खुले में शौच न करने हेतु लोगों को पाबन्द किया जा रहा है एवं घरों में शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

Generate awareness about sanitation and linkage with public health :- लोगों को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जा रही है। जिससे वह अपने आस-पास का वातावरण स्वच्छ रख सकें।

“थीम आधारित स्वच्छता ड्राईव” :- कलेण्डर 4/16 से 3/17 अनुसार दिनांक 16.05.2016 से 31.05.2016 तक ब्यावर शहर के सभी राजकीय कार्यालयों एवं भवनों/परिसरों में थीम आधारित स्वच्छता सफाई कराई गई।










ब्यावर नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता हेतु शपथ लेते हुए :—



नगर परिषद ब्यावर में नालों की सफाई, रोड की सफाई, पार्कों की सफाई, रोड लाईटों का रखरखाव , स्कूलों व राजकीय कार्यालयों की सफाई, शौचालय विहीन परिवारों की पहचान (सर्व द्वारा) आदि शामिल थे साथ ही शहर में सामुदायिक जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम जिनमें वार्ड सभाएं, नुक्कड़ नाटक, अपील रैली, आदि आयोजित की गई जिससे जन समुदाय को स्वच्छता व सफाई आदि के महत्व का पता चल सके व खुले में शौच का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभावों का भी ज्ञान दिया गया ।

“स्वच्छ भारत मिशन” के तहत परिषद द्वारा महाविधालयों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई एंव कठपुतली एंव मिडिया स्थानीय चैनल पर भी स्वच्छता का प्रचार-प्रसार कर आम नागरिकों एंव छात्रों, जनसमुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। आम नागरिकों से खुले में शौच नहीं करने की अपील की गई, साथ ही घर-घर सर्वे कर शौचालय विहिन परिवारों को चिन्हित किया गया और लाभान्वित लोगों से शौचालय निर्माण की फोटो ली गई। इस प्रकार परिषद प्रशासन द्वारा लगातार स्वच्छता हेतु आमजन में जागरूकता लानी की अपील की जा रही है।



Various Schemes

अमृत योजना :-

अमृत योजनान्तर्गत ब्यावर शहर के विकास के लिए 154.00 करोड़ रु. के प्रस्ताव की SLIP (service level improvement plan) तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यकारी निदेशक, RUIFDCO जयपुर को भिजवा दिया गया है। सीवरेज कार्य की मैसर्स बी.एल.जी. कन्सट्रक्शन प्राइलि० जोधपुर के द्वारा तैयार की गई डीपीआर लागत 110.00 करोड़ स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है एंव उक्त कार्य करने हेतु राजस्थान अरबन ड्रिकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निविदा जारी की जा चुकी है।



राशि करोड़ों में

क्र.स.	प्रोजेक्ट का नाम	प्रस्तावित राशि	कन्सलटेन्ट का नाम
1	वाटर सप्लाई हेतु	14.00	पीएचईडी ब्यावर द्वारा तैयार की जा रही है।
2	सीवरेज कार्य	110.00	मैसर्स बी.एल.जी. कन्सट्रक्शन प्राइलि० जोधपुर
3	स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज	15.00 .	मैसर्स वित्या कन्सलटेन्ट, सिकन्दराबाद
4	ग्रीन स्पेस एण्ड पार्क	5.00 .	मैसर्स केडकोन जयपुर
5	अरबन ट्रांसपोर्ट	10.00	निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज० जयपुर के स्तर पर किया जाना है।

उक्त कार्यों की डीपीआर तैयार होने पर अग्रिम कार्यवाही अमृत योजना के दिशा निर्देशानुसार की जायेगी।

Din Dayal Antyodaya Yojna - National Urban Livelihood Mission ((DAY- NULM))

दीन दयाल अन्त्योदय योजना . राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)

भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार एवं नगरिय निकायो के संयुक्त प्रयासो से शहरी गरीबो के उत्थान के लिए "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबो को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन के अन्तर्गत बेघर नागरिकों को आश्रय तथा आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। पथ विक्रेताओं की समस्याओं को दूर करते हुए, समुचित स्थानों पर हॉकर्स कॉर्नर विकसीत किये जाएंगे साथ ही यह मिशन बेघर लोगों को आश्रय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

योजना के प्रमुख घटक :

1. सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास : इस घटक के अन्तर्गत राज्य स्तर पर एक त्रिस्तरीय संगठनात्मक सरंचना परिकल्पित की गयी है। इसके अन्तर्गत जहां बस्ती स्तर पर स्व-सहायता समूह बनाए जायेंगे वही 10-20 क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन (Area Level Federation) तथा 10-20 क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन मिलकर एक नगर स्तरीय फेडरेशन (City Level Federation) का गठन करेंगे। इस संघीय सरंचना से बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, मार्केटिंग, ऋण, मूल्यांकन, हितग्राहियों की पहचान एवं भागीदारी तथा समूहों के निर्माण से सहायता मिलेगी। इस प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए स्त्रोत संगठनों का चयन किया जाएगा। इनके कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक शहर में शहरी आजीविका केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित की गई है। इन केन्द्रों का संचालन समुदाय आधारित संस्थाओं, एनजीओ, स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन आदि के द्वारा होगा।
2. कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार : इस घटक के अन्तर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षणों के द्वारा उन्नत रोजगार से जोड़ा जाएगा। घटक के उद्देश्य पूर्ति हेतु निम्नानुसार गतिविधियों संचालित की जाएंगी :-

- बाजार की मांग के अनुसार दक्षता की कमी का विश्लेषण तथा रोजगारोनुख व्यवसायों की सूची तैयार करना।
- गरीब तथा कमजोर वर्गों के अकुशल प्रशिक्षणार्थियों का चयन।
- प्रशिक्षण संस्थाओं का पारदर्शी तरीके से चयन।
- पाद्यक्रम निर्धारण।
- प्रमाणीकरण।
- प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा छ: माह तक सतत संपर्क। प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति राशि 15,000 रुपये व्यय प्रस्तावित है।

स्वरोजगार कार्यक्रम : इस घटक के अन्तर्गत व्यक्तिगत एवं समूह उघम के लिए ऋण द्वारा वित पोषण सुनिश्चित किया जाएगा।

- व्यक्तिगत (रूपये 2.00 लाख) एवं समूह (रूपये 10.00 लाख अधिकतम) ऋण पर बैंकों द्वारा प्रचलित ब्याज दर की जगह मात्र 7 प्रतिशत ब्याज दर होगी तथा शेष ब्याज का वहन योजनान्तर्गत किया जाएगा। महिला स्व-सहायता समूहों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा। व्यक्तिगत उद्यमियों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा सुलभ होगी। ऋण अवधि 5-7 वर्ष के लिए प्रस्तावित है।
- इस कार्यक्रम के द्वारा 18 वर्ष या अधिक आयु के हितग्राहियों की पहचान नगरीय निकायों के द्वारा प्रस्तावित है। हितग्राहियों को 3-7 दिन तक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (ओरीएन्टेशन) प्रदान किया जायेगा। कार्यक्रम से लाभ उठाने के लिए कोई न्यूनतम शिक्षा का बंधन नहीं है। इस घटक का प्रबंधन नगर स्तर पर गठित टास्कफार्स के द्वारा किया जाएगा।
- क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण : इस घटक के अन्तर्गत राज्य तथा निकाय स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाई का गठन किया जायेगा, जिसमें राज्य स्तर पर 06 तकनीकीच विशेषज्ञों को समिलित किया जाएगा तथा निकाय स्तर पर 02-04 विशेषज्ञ जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- शहरी पथ विकेताओं को सहायता : इस घटक में पथ विकेताओं की पहचान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा, कौशल उन्नयन (1-2 दिन के प्रशिक्षण), बैंक लिंकेज एवं ऋण सुविधा, पहचान-पत्र, विक्री हेतु सुनिश्चित स्थान आदि सुविधाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इस घटक पर आंवटन की 5 प्रतिशत राशि व्यय की जाएगी तथा प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति अधिकतम रूपये 750/- का व्यय किया जा सकेगा।
- शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना : इस घटक के अन्तर्गत सामुदायिक आश्रय भवन का निर्माण कर गरीबों एवं बेघर लोगों के (50-100 व्यक्तियों के लिए) रहने का स्थान एवं मूलभूत सुविधायें (किचन, पानी, शौचालय, बिजली, मनोरंजन आदि) उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे आश्रय भवन सभी मिशन नगरों में रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, मण्डी आदि के समीप निर्मित किया जाएगा। इन भवनों एवं सुविधाओं का संचालन एवं प्रबंधन, इस कार्य हेतु गठित प्रबंधन समिति/पूर्ण कालिक कर्मचारी/अन्य के द्वारा किया जाएगा।
- ❖ राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन में सरकार द्वारा सिटी लेवल पर **CMMU** (सिटी मिशन मैनेजमेंट यूनिट) की स्थापना की गई है।
 - आशीष त्रिपाठी, मैनेजर (**SKILL & MICRO ENTERPRISES**), CMMU 9414368623
 - सुरेन्द्र बांगड़, मैनेजर (**SM& ID**), CMMU 9784195071
 - मोहिन्द्र राय फुलवारी, प्रभारी (**NULM**) 9413694837

Municipal Council Beawar

Contact Us

CHAIRMAN

Smt. Babita Chouhan

Ph No. 01462- 257049

Mobile No. – 9252243233

COMMISSIONER

Mr. Padam Singh

Ph No. 01462-256540

Mobile No. – 9461644387

Office 01462- 258665

Office :- Municipal Council Beawar

Nehru Bhawan,

Opp. Govt. Patel Sr. Sec. School, Beawar

Dist. Ajmer Rajasthan